



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : -अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-IV(C)/जेई-०६

दिनांक : ०१/०५/२०२६

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोनामित अवर अभियन्ताओं की 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्तम्भ-7 में उल्लिखित तिथि को कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	इम्प्लॉईकोड	वर्तमान तैनाती कार्यालय	सेवानिवृत्ति की तिथि (अपरान्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	राधे श्याम	स्व० कली राम	10.07.1966.	UP00004212	विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर	31.07.2026
2	योगेश	दीप चन्द्र पाण्डे	15.07.1966.	UA00009513	विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर), देहरादून।	31.07.2026
3	सुशील कुमार धिवान	मनमोहन लाल धिवान	15.07.1966	UA00009349	वि०परीक्षण खण्ड, (नगरीय), देहरादून	31.07.2026
4	दिनेश चन्द्र तिवारी	स्व० दया कृष्ण तिवारी	05.08.1966.	UP00001411	विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), रुड़की	31.08.2026
5	इन्द्र सिंह	लखु लाल	17.08.1966.	UP00001688	विद्युत वितरण खण्ड, कर्णप्रयाग	31.08.2026
6	गिरीश चन्द्र	बंशीधर	18.08.1966.	UP00001643	विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण	31.08.2026
7	राकेश प्रसाद	पूर्णानन्द	01.01.1967.	UP00001480	विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण	31.12.2026

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में, उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है तथा किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके कार्मिक का दायित्व होगा की बिना किसी अग्रोत्तर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, वह नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कार्मिक का विधिक दायित्व होगा।

क्रमशः-2/

यह भी आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त कारपोरेशन सेवक की अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व से ही अनिवार्यतः उनके पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के लिए :-

- (क) अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब और उनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायिक/ प्रशासनाधिकरण की जाँच, जो भी हो, पूरी करने की कार्यवाही इत्यादि प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूर्ण करा ली जाये।
- (ख) सम्बन्धित परिषदीय/कारपोरेशन कार्मिक यदि विभाग के आवासीय भवन में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद विभागीय आवास को खाली कर दे एवं उसके समस्त देयकों का तत्काल कारपोरेशन को भुगतान कर दे।

अधिशारी निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक :- - अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि / S-IV(C) / जे0ई0-06 / तददिनांक

प्रतिलिपि वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुभाग, उपाकालि, वि0क्रा0विजे0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सेवानिवृत्त होने वाले उपर्युक्त कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित/आसन्न विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णीत कराये जाने का कष्ट करें, जिससे कि उनके सेवानैवृत्तक देयों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(राजेश भौरें)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

पत्रांक :- 1570 -अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि / S-IV(C) / जे0ई0-06 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशारी निदेशक(मा0सं0), उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.....।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,।
6. समस्त महाप्रबन्धक(वित्त)/उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उपाकालि,.....।
7. सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता, उपाकालि,।
8. अधिशारी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0विजे0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सम्बन्धित कार्मिक/कार्या0 ज्ञाप पंजिका/कट फाइल/सम्बन्धित अनुभाग।

(राजेश भौरें)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी